

न्यायालय सिविल जज (प्रवर खण्ड), श्रावस्ती।

उपस्थितः अपर्णा देव, उ०प्र० न्यायिक सेवा ।

मूलवाद संख्या:- 186 सन् 2015

सी एन आर नम्बर -UPSR050002242015

कलहा पुत्र ननकऊ उम्र लगभग 40 वर्ष निवासी बभनपुरवा, दा० ताल बघौड़ा, परगना, तुलसीपुर, तहसील भिनगा, जिला-श्रावस्ती।

..... वादी।

बनाम

1. बालक राम मौर्य पुत्र राम अधार
2. राजित राम पुत्र राम अधार
3. राम सुन्दर पुत्र राम अधार
4. इन्दर लाल पुत्र राम अधार

समस्त निवासीगण बभनपुरवा, दा० ताल बघौड़ा, परगना तुलसीपुर, तहसील भिनगा, जिला श्रावस्ती।

..... प्रतिवादीगण।

निर्णय

वादी ने यह वाद विवादित सम्पत्ति स्थित ग्राम बभनपुरवा, दाखिला ताल बघौड़ा, परगना तुलसीपुर, तहसील भिनगा, जिला श्रावस्ती, जिसे वादपत्र के नक्शा नजरी में अक्षर ए, बी, सी, डी एवं लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है, पर स्थित चहारदीवारी को तोड़ने से रोकने, उसमें लगे पेड़ बरगद को काटने से रोकने, किसी प्रकार का नव-निर्माण करने व कब्जा करने से रोकने तथा वादी के शांतिपूर्ण कब्जे व दखल में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए एक स्थायी निषेधात्मक व्यादेश की प्राप्ति हेतु प्रतिवादीगण के विरुद्ध संस्थित किया है।

संक्षिप्त में वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि विवादित सम्पत्ति स्थित ग्राम बभनपुरवा, दाखिला ताल बघौड़ा, परगना तुलसीपुर, तहसील भिनगा, जिला श्रावस्ती जिसे वादपत्र के नक्शा नजरी में अक्षर ए, बी, सी, डी एवं लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है, वादी की पैतृक सम्पत्ति है और जिसमें वादी अपने पूर्वजों के जमाने से देव स्थानों पर पूजा पाठ करता चला आ रहा है। विवादित सम्पत्ति में मां काली जी का स्थान व ब्रह्मा देव का स्थान व व्यास आसन तथा एक बरगद का पेड़ स्थित है। विवादित सम्पत्ति की चौहदादी में उत्तर खाली भूमि व चकरोड़ तथा मकान फूस है एवं दक्षिण में भूमि सहन प्रतिवादीगण, पूर्व सड़क बादहू मकान वादी एवं पश्चिम भूमि मकान प्रतिवादीगण हैं। वादी विवादित सम्पत्ति का स्वामी है तथा उसके पूर्वज हमेशा पूजापाठ, भागवत भंडारा आदि करते चले आये हैं तथा अन्य व्यक्ति भी पूजा आदि करते हैं, जिनको वादी रोकता नहीं है। वादी ने विवादित सम्पत्ति में सुरक्षा की दृष्टि से चहारदीवारी बनवायी है। वादी की कमज़ोरी का फायदा उठाकर

प्रतिवादीगण विवादित स्थल की चहारदीवारी को तोड़कर उस पर कब्जा करके नव-निर्माण करना चाहते हैं और पेड़ काट देना चाहते हैं, जिसके लिए प्रतिवादीगण बराबर धमकी दे रहे हैं। प्रतिवादीगण का विवादित सम्पत्ति से कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रतिवादीगण कहने से नहीं मान रहे हैं। इसलिए वादी ने यह वाद संस्थित किया है।

प्रतिवादीगण पर तामिला पूर्ण हुई। प्रतिवादी संख्या 1 न्यायालय में उपस्थित हुआ परन्तु शेष प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, जिस कारण न्यायालय द्वारा दिनाँक 27.07.2016 को वाद की कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 2 लगातय 4 के विरुद्ध एकपक्षीय रूप से अग्रसारित की गई।

प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना प्रतिवादपत्र मय प्रतिदावा 21 क प्रस्तुत कर कथन किया है कि विवादित स्थल पर मां काली व ब्रह्मदेव का स्थान, व्यास आसन व बरगद का पेड़ होना स्वीकार है। विवादित स्थल पर चहारदीवारी होना स्वीकार है, किन्तु इसका निर्माण वादी द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि प्रतिवादीगण द्वारा कराया गया है। प्रतिवादीगण की जानकारी के अनुसार वंश वृक्ष इस प्रकार है कि राम आसरे के दो पुत्र रामअधार एवं बेचन हुए। रामअधार के चार पुत्र बालकराम, राजितराम, रामसुन्दर एवं इन्द्र लाल हैं। रामआसरे की मृत्यु लगभग 70 साल पूर्व तथा राम अधार की मृत्यु लगभग पांच वर्ष पूर्व हो चुकी है। बेचन की मृत्यु राम अधार के पूर्व लावल्द हो गयी थी। इण्टरलॉकिंग सड़क से पश्चिम व रास्ते के दक्षिण की सारी भूमि प्रतिवादीगण की है, जिसके दक्षिणी भाग में उत्तर प्रदेश जर्मींदारी विनाश अधिनियम के प्रभावी होने के पूर्व से ही प्रतिवादीगण के पूर्वज और अब प्रतिवादीगण मकान बनाकर रहते चले आ रहे हैं। प्रतिवादीगण के मकान के उत्तर वाली भूमि प्रतिवादीगण के पूर्वजों और अब प्रतिवादीगण के मकानात से संलग्न भूमि है। प्रतिवादी संख्या 1 का मकान विवादित सम्पत्ति के पश्चिम बना है। प्रतिवादीगण के मकानात के उत्तर की सारी भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की है, जिसके उत्तर-पूर्वी कोने पर इंडिया मार्क का नल लगा है। उक्त भूमि मे मां काली का स्थान व ब्रह्म स्थान बहुत पुराने समय से प्रतिवादी के पूर्वजों द्वारा स्थापित है, जिसकी चहारदीवारी वादपत्र के नक्शा नजरी में मां काली स्थान के चारों ओर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उत्तर, पूरब, व दक्षिण निकास कायम करते हुए तामीर करायी गयी है। मां काली के स्थान मे उत्तर-पूर्व की ओर पुराना बरगद का पेड़ प्रतिवादीगण के पूर्वजों के द्वारा लगाया गया था, जो सूख गया और प्रतिवादीगण का लगाया हुआ पेड़ आज भी विद्यमान है। वादीगण का मकान मां काली के स्थान के पूरब, उत्तर, दक्षिण जाने वाली इण्टरलॉकिंग सड़क के पूरब स्थित है। वादी का विवादित सम्पत्ति से कोई वास्ता सरोकार नहीं है और वादी का कोई हक व कब्जा नहीं है। वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निरस्त होने योग्य है। प्रतिवादी विशेष हर्जा पाने का अधिकारी है और वादी का वाद धारा 41 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है। गांव की पार्टी बंदी के कारण वादी चंदा इकट्ठा करके वादग्रस्त भूमि काली स्थान को सार्वजनिक बताते हुए जबरन विवादित आराजी में अक्षर सी,डी, से प्रदर्शित स्थान पर प्रतिवादीगण के सहन में दीवार कायम करने

लगा, जिसका प्रतिवादी ने विरोध किया, परन्तु वादी ने तमाम लोगों को इकट्ठा करके आनन्दानन्दन में दीवार को मौजूदा ऊँचाई तक पहुंचा दिया और झूठा दावा दायर कर दिया। प्रतिवादीगण ने वादी से निवेदन किया कि वह मुकदमा वापस ले ले और सी.डी. स्थान पर कायम की गयी तामीर ध्वस्त करा ले, परन्तु वादी ने इन्कार कर दिया। इसलिए प्रतिवादी ने प्रतिदावा प्रस्तुत कर वादी के विरुद्ध आज्ञापक व्यादेश इस आशय का चाहा है कि मां काली स्थान के चारों ओर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा तामीर करायी गयी सीमा के दक्षिण वादी द्वारा जबरन की गयी तामीरात न्यायालय द्वारा निर्धारित समय में ध्वस्त करके मलवा हटाने हेतु वादी को आदेशित किया जाए सके।

प्रतिवादी द्वारा दाखिल किए गए प्रतिदावा के विरुद्ध वादी द्वारा अपना जवाबदावा 28 क प्रस्तुत किया गया है और कथन किया है कि प्रतिवादी ने अपने प्रतिवाद पत्र में मां काली का स्थान, ब्रह्म देव का स्थान, व्यास स्थान, बरगद का पेड़ तथा चहारदीवारी का होना स्वीकार किया है। प्रतिवादी संख्या 1 ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके पूर्वज कहीं अन्यत्र से आकर गांव में बसे हैं। प्रतिवादी संख्या 1 का यह कथन गलत है कि बरगद का पेड़ उसके पूर्वजों द्वारा लगाया गया, क्योंकि बरगद का पेड़ हजारों वर्ष पुराना है जो अपने-आप सड़कर टूट गया है और उसके स्थान पर वादी ने नया पेड़ लगाया है। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादपत्र के मानचित्र को स्वीकार किया है। प्रतिवादी ने यह भी स्वीकार किया है कि विवादित स्थल में दीवार वादी के द्वारा निर्मित की गयी है। वादग्रस्त सम्पत्ति उसकी पैतृक सम्पत्ति है। प्रतिवादी का वादग्रस्त सम्पत्ति से कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रतिदावा आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निरस्त होने योग्य है। वादी विशेष हर्जा पाने का अधिकारी है और प्रतिदावा धारा 34 व धारा 41 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है। इन्हीं आधारों पर प्रतिदावा निरस्त होने योग्य है।

पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा दिनांक 27.08.2016 को छ: वाद बिन्दु एवं दिनांक 28.03.2019 को निम्नलिखित सात वाद बिन्दु विरचित किये गये:-

1. क्या वादी विवादित सम्पत्ति जिसे वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शानजरी में अक्षर ए.बी.सी.डी का मालिक, काबिज व दखील है, के आधार पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की आज्ञासि पाने का अधिकारी है?
2. क्या वाद अधोमूल्यांकित है एवं प्रदत्त न्याय शुल्क अपर्याप्त है?
3. क्या दावा वादी आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता से बाधित है?
4. क्या वादी से प्रतिवादीगण धारा 35 ए सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत विशेष हर्जा पाने के अधिकारी हैं?
5. क्या दावा वादी धारा 41 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है?
6. क्या वादी किसी अन्य अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है?
7. क्या प्रतिदावे में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रतिवादी सी.डी. स्थान पर वादी द्वारा कराये

गये निर्माण को ध्वस्त करा पाने का अधिकारी है?

8. क्या प्रतिदावा अधोमूल्यांकित है?

9. क्या प्रतिदावे में प्रदत्त न्यायालय शुल्क अपर्याप्त है?

10. क्या वादी से प्रतिवादी संख्या 1 धारा 35 ए सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत विशेष हजार पाने का अधिकारी है?

11. क्या प्रतिदावा आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत निरस्त किये जाने योग्य है?

12. क्या प्रतिदावा धारा 41 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है?

13. क्या प्रतिवादी प्रतिदावे में याचित अन्य अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है?

वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में वादी साक्षी संख्या 1 कलहा, वादी साक्षी संख्या 2 मोहम्मद शरीफ, वादी साक्षी संख्या 3 हरीराम, वादी साक्षी संख्या 4 भुलई खाँ एवं वादी साक्षी संख्या 5 मंगरे को परीक्षित कराया है। प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची संख्या 10 ग से दो प्रलेख दाखिल किये हैं।

प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने प्रतिवादपत्र के समर्थन में प्रतिवादी साक्षी संख्या 1 बालकराम मौर्या, प्रतिवादी साक्षी संख्या 2 राजितराम व प्रतिवादी साक्षी संख्या 3 हलन्दे उर्फ अब्दुल हक को परीक्षित कराया है। प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची संख्या 67 ग से दो प्रलेख दाखिल किये हैं।

मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

निष्कर्ष

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 2 :-

वाद बिन्दु संख्या 2 वाद मूल्यांकन एवं न्यायालय शुल्क से सम्बन्धित है। इस वाद बिन्दु को प्रतिवादी संख्या 1 के अभिवचनों के आधार पर विरचित किया गया है तथा इसे सिद्ध करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 पर है। न्यायालय द्वारा इस वाद बिन्दु को दिनांक 27.08.2016 को प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णीत किया गया है, जो उसी निर्णीत अवस्था में इस निर्णय का भाग रहेगा।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 8 :-

वाद बिन्दु संख्या 8 प्रतिदावे के मूल्यांकन से सम्बन्धित है। इस वाद बिन्दु को वादी के अभिवचनों के आधार पर विरचित किया गया है तथा इसे सिद्ध करने का भार वादी पर है। न्यायालय द्वारा इस वाद बिन्दु को दिनांक 04.04.2019 को वादी के विरुद्ध निर्णीत किया गया है, जो उसी निर्णीत अवस्था में इस निर्णय का भाग रहेगा।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 9 :-

वाद बिन्दु संख्या 9 प्रतिदावे के न्यायालय शुल्क से सम्बन्धित है। इस वाद बिन्दु को

वादी के अभिवचनों के आधार पर विरचित किया गया है तथा इसे सिद्ध करने का भार वादी पर है। न्यायालय द्वारा इस वाद बिन्दु को दिनांक 04.04.2019 को वादी के विरुद्ध निर्णीत किया गया है, जो उसी निर्णीत अवस्था में इस निर्णय का भाग रहेगा।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 1 व 7:-

वाद बिन्दु संख्या 1 इस आशय से विरचित किया है कि क्या वादी विवादित सम्पत्ति, जिसे वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शानजरी में अक्षर ए, बी, सी, डी का मालिक, काबिज व दखील है, के आधार पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की आज्ञाप्ति पाने का अधिकारी है। इस वाद बिन्दु वादी के अभिवचनों के आधार पर विरचित किया गया है तथा इसे साबित करने का भार वादी पर है। वाद बिन्दु संख्या 7 इस आशय से विरचित किया है कि क्या प्रतिदावे में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रतिवादी सी.डी. स्थान पर वादी द्वारा कराये गये निर्माण को ध्वस्त करा पाने का अधिकारी है। इस वाद बिन्दु को प्रतिवादी संख्या 1 के अभिवचनों के आधार पर विरचित किया गया है तथा इसे सिद्ध करने का भार भी प्रतिवादी पर है। यह दोनों वाद बिन्दु एक ही साक्ष्य से निर्णीत होने योग्य है तथा इनका निस्तारण एक साथ किया जाना न्यायोचित है।

स्वीकार रूप में वादी व प्रतिवादीगण एक ही स्थान बभनपुरवा, दा० ताल बघौड़ा के निवासी है, जैसा कि कागज संख्या 11 ग नकल पहचान पत्र निर्वाचिन आयोग तथा कागज संख्या 67 ग/2 सत्यप्रतिलिपि परिवार रजिस्टर ग्राम ताल बघौड़ा, न्याय पंचायत परसोहना, विकास खण्ड सिरसिया, तहसील भिन्ना, जिला श्रावस्ती से दर्शित होता है। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि वादग्रस्त सम्पत्ति, जिसे नक्शा नजरी वाद पत्र में अक्षर ए, बी, सी, डी से प्रदर्शित किया गया है, में माँ काली व ब्रह्मदेव का स्थान व व्यास आसन तथा एक वृक्ष बरगद स्थित है, जो चहारदीवारी से घिरा हुआ है।

वादी साक्षी संख्या 1 कलहा ने अपनी प्रतिपरीक्षा में बयान दिया है कि बालक राम का मकान बभनपुरवा में मन्दिर के दक्षिण ओर है। मन्दिर के पश्चिम उसका नम्बरी खाता है, पूरब रास्ता फिर उसका मकान है तथा उत्तर में उसकी जमीन है। वादी साक्षी संख्या 2 मोहम्मद शरीफ के अनुसार वादग्रस्त सम्पत्ति के पूरब रास्ता बादहू जोद्वी व ननकऊ का घर, पश्चिम बाऊर मौर्या का चक, उत्तर में चक रोड बादहू ननकऊ का चक तथा दक्षिण में नकूँ मौर्या, बाऊर मौर्या, सुन्दर, इन्दर का घर होना बताया है। इस साक्षी ने अपने बयान में यह भी स्पष्ट किया है कि बाऊर को ही बालकराम, जो प्रतिवादी है, कहते है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि ननकऊ वादी कलहा का पिता है। वादी साक्षी संख्या 3 हरीराम ने बयान में विवादित सम्पत्ति के दक्षिण में बालकराम, रचितराम, सुन्दर आदि का आवास, उत्तर में कलहा का चक, पूरब में कलहा आदि का घर, पश्चिम बालकराम के चारों भाइयों का चक होना बताया है। प्रतिवादी द्वारा वादी साक्षी संख्या 4 भुलई खाँ एवं वादी साक्षी संख्या 5 मंगरे तता वादी ने प्रतिवादी साक्षी संख्या 1 बालकराम मौर्या एवं प्रतिवादी साक्षी संख्या 3 हलन्दे उर्फ अब्दुल हक से वादग्रस्त सम्पत्ति की चौहदियों के सम्बन्ध में कोई प्रश्न नहीं पूछा है। प्रतिवादी साक्षी संख्या

2 रजित राम, जो स्वयं प्रतिवादी संख्या 2 है, ने अपनी प्रतिपरीक्षा में बयान दिया है कि काली मन्दिर के पूरब व्यास आसन व इन्टरलाकिंग रोड, उत्तर रामआसरे बाबा की जमीन, पश्चिम तरफ उसका बाग व दक्षिण में काली मन्दिर से मिला प्रतिवादीगण का मकान होना बताया है। इस प्रकार उपरोक्त सभी साक्षियों ने अपने-अपने बयान में वादग्रस्त सम्पत्ति की चौहट्टियाँ लगभग सही बताई हैं। साक्षीगण के बयानों में मात्र काली जी के मन्दिर के उत्तर की ओर स्थित सम्पत्ति को ले कर थोड़ा बहुँत विरोधाभाष है। पक्षकारों ने अपने-अपने अभिवचनों में स्वीकार है कि वादग्रस्त सम्पत्ति के उत्तर में खाली जमीन बादहू चक रोड बादहू मकान फूस, दक्षिण में भूमि सहन प्रतिवादीगण, पूरब में सड़क बादहू मकान वादी एवं पश्चिम में भूमि मकान प्रतिवादीगण स्थित हैं। तब यदि वादग्रस्त सम्पत्ति की उत्तरी चौहट्टी के सम्बन्ध में जो भी विरोधाभाष है, उससे कोई विपरीत प्रभाव किसी पक्षकार पर नहीं पड़ता है।

वादी का कथन है कि वादग्रस्त सम्पत्ति उसकी पैतृक सम्पत्ति है तथा प्रतिवादीगण वादग्रस्त सम्पत्ति पर जबरन कब्जा कर उसकी प्रकृति बदलना चाहते हैं। इसके विपरीत प्रतिवादी संख्या 1 का कथन है कि वादग्रस्त सम्पत्ति उसे अपने भाइयों से विभाजन में मिली है तथा वह वादग्रस्त सम्पत्ति का स्वामी है। प्रतिवादी संख्या 1 का यह भी कथन है कि वादग्रस्त सम्पत्ति में जो माँ काली जी का स्थान, ब्रह्मदेव का स्थान है, वह उसके पूर्वजों द्वारा स्थापित कराया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत वाद में पक्षकारों के मध्य वादग्रस्त सम्पत्ति के स्वत्व के सम्बन्ध में विवाद है।

वादी को अपना वाद स्वयं साबित करना है तथा प्रतिवादी की किसी कमी का लाभ वह नहीं उठा सकता है। इसलिए वादी को यह साबित करना है कि वह वादग्रस्त सम्पत्ति का स्वामी व काबिज है, जिसके आधार पर वह प्रतिवादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। वही प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिदावा इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि वादी ने उसके मकान के दरवाजे के सामने दीवार निर्मित करा उसका रास्ता अवरुद्ध कर दिया है। प्रतिवादी को अपना प्रतिदावा स्वयं सिद्ध करना है तथा प्रतिदावे के सम्बन्ध में वह वादी की किसी कमी का लाभ नहीं उठा सकता है।

वादी साक्षी संख्या 1 कलहा ने बयान दिया है कि मन्दिर में माँ काली की मूर्ति नहीं है, स्वरूप है, जो चौकोर है। चबूतरा कच्चा बना है। इस मन्दिर में कोई नहीं रहता है। पूजा पाठ करके चले जाते हैं। जमीन किसके नाम दर्ज है, वह नहीं जानता है। मन्दिर बनने से पहले किसके नाम जमीन थी, वह नहीं जानता है। ब्रह्म स्थान बना है, किस ब्राह्मण के मरने पर बना है, वह नहीं जानता है। काली स्थान के चारों ओर पुरानी चहारदीवारी है। वादी साक्षी संख्या 3 हरीराम ने बयान दिया है कि विवादित सम्पत्ति कलहा की नहीं है। विवादित सम्पत्ति हिन्दू समाज की सम्पत्ति है। मन्दिर में वादी प्रतिवादी पूजा करते हैं। वादी साक्षी संख्या 4 भुलई खाँ ने अपनी मुख्य परीक्षा शपथपत्र में बयान दिया है कि विवादित सम्पत्ति वादी की सम्पत्ति है, जिसमें उसके पूर्वजों ने काली जी का स्थान, ब्रह्म देव का स्थान, व्यास आसन बनवाया था तथा बरगद का वरक्ष लगवाया था। इस प्रकार इस साक्षी ने मुख्यपरीक्षा में वादी के पूर्वजों

द्वारा मन्दिर आदि बनवाना कहा है, जबकि प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने बयान दिया है कि वह एकलाख व सिराज को जानता है। उनके घर के बीच में जो काली जी का चबूतरा था, उसको दोनों की सहमति से उठा कर विवादित स्थान पर रखा गया है। एकलाख व सिराज के घर के बीच में जो खाली जगह है, वह काली जी के मन्दिर की जगह है। पहले काली मन्दिर के तीन ओर मुस्लमानों की बस्ती थी। वे मन्दिर के चारों ओर काफी गन्दगी करते थे। इसलिए वहां से चबूतरा उठा कर विवादित जगह पर रखा गया है। इस प्रकार वादी साक्षी संख्या 4 भुलई खाँ के बयान के अनुसार विवादित मन्दिर को वादी के पूर्वजों ने नहीं बनवाया है, बल्कि काली मन्दिर को अन्य स्थान से उठा कर विवादित स्थान पर रखा गया है। वही वादी साक्षी संख्या 5 मंगरे यह बता पाने में असफल रहा है कि विवादित स्थल पर बरगद का वृक्ष किस ने लगवाया था। प्रतिवादी साक्षी संख्या 1 बालकराम मौर्या ने बयान दिया है कि विवादित भूमि पर काली स्थान बने दस साल हो गए, जिसे उसके पिता राम अधार ने बनवाया है। उस स्थान पर जो बरगद का पुराना पेड़ था, वह गिर गया। उसके स्थान पर उसके पिता जी ने बरगद का दूसरा पेड़ लगाया था, जिससे लगाए सात आठ साल हो गये। विवादित काली स्थान के पश्चिम तरफ उसके पिता ने चहार दीवारी दस फिट की उठवाई थी। काली जी के स्थान भूमि उसके खानदान की है, ग्राम समाज की नहीं है। प्रतिवादी साक्षी संख्या 3 हलन्दे उर्फ अब्दुल हक ने बयान दिया है कि काली मन्दिर बालकराम के पिता ने बनवाया था। विवादित स्थान के बगल में बरगद का पेड़ है, जिसको किसने लगवाया उसे नहीं पता है। इस प्रकार प्रतिवादी साक्षीगण ने वादग्रस्त सम्पत्ति प्रतिवादी की होना कहा है, जबकि वादी साक्षीगण के बयानों में वादी का वादग्रस्त सम्पत्ति का स्वामी होने एवं वादग्रस्त सम्पत्ति में वादी के पूर्वजों द्वारा काली मन्दिर बनवाए जाने के सम्बन्ध में विरोधाभाष है। तब न्यायालय यह पाता है कि वादी वादग्रस्त सम्पत्ति पर अपना स्वत्व साबित कर पाने में असफल रहा है।

जहाँ तक प्रतिवादी के प्रतिदावे का प्रश्न है तो प्रतिवादी ने प्रतिदावे में कथन किया है कि वादी ने जबरन उसके मकान के निकास के सामने दीवार निर्मित करा उसके रास्ते को अवरोध कर दिया है। कागज संख्या 12 ग से वादी द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति के छायाचित्र दाखिल किये गये हैं। वादी साक्षी संख्या 1 कलहा ने बयान दिया है कि कागज संख्या 12 ग फोटो में जो भूमि है, वह मन्दिर की भूमि है। फोटो में दिखाई देने वाली दीवार वाद से लगभग साल भर पहले बनाई थी। बालकराम का मकान बभनपुरवा में मन्दिर के दक्षिण ओर है। विवादित दीवार पूरब पश्चिम 9-10 हाथ और उत्तर दक्षिण 5-6 हाथ होगी। यह दीवार मन्दिर के दक्षिण है और पुरानी दीवार से 9-10 हाथ दूरी पर है। पश्चिम भी दीवार है, जो पुरानी है। वादी साक्षी संख्या 2 मोहम्मद शरीफ ने बयान दिया है कि वह बहादुर, हरीराम व नन्दलाल को जानता है। दोनों पार्टियाँ जेल गई थीं। मन्दिर की पुरानी दीवार से नई दीवार आठ मीटर की दूरी पर है। दीवार उठाने से मुहाना बन्द है। वादी साक्षी संख्या 3 हरीराम ने विवादित स्थल के छायाप्रति देख कर बयान दिया है कि फोटो में दीवार के पीछे दरवाजा बाऊर मौर्या का है। नई दीवार साल भर पहले बनी है। विवादित सम्पत्ति के विवाद में 151

की कार्यवाही हुई थी। वह कलहा की तरफ से जेल गया था। जब विवादित दीवार नहीं उठी थी, तब बालकराम आदि गाँव के अन्य लोग उसी जमीन से आते जाते थे। फोटो 12 ग में विवादित जमीन के पीछे जो दरवाजा है, वह बालकराम का है। वादी साक्षी संख्या 4 भुलई खाँ ने जब नई दीवार उठाई थी, तब उसने देखा था। नइ वाली दीवार उठाए लगभग साल डेढ़ साल हो गया है। जब दीवार उठा रहे थे, उस समय बहादुर, हरीराम, बालकराम जेल में थे। ये लोग इसी जमीन के झगड़े के सम्बन्ध में जेल गये थे। जब विवादित दीवार नहीं उठी थी तो गाँव के सभी लोग वहाँ से आते जाते थे। इस साक्षी ने भी फोटो 12 ग देख कर कहा कि नई दीवार के पीछे बालकराम का दरवाजा है। वादी साक्षी संख्या 5 मंगरे ने बयान दिया है कि मन्दिर की नई दीवार लगभग दो साल पहले उसने ही बनाई थी। इस नइ दीवार की लम्बाई पूरब पश्चिम 21 फीट, उचाई 5 फीट है। दीवार एक ही दिन में उठा दी थी। दीवार उठाते समय कलहा व बालकराम दोनों थाने में बन्द थे। दरोगा जी ने कहा कि अपना मसाला खराब मत करो, इसलिए काम नहीं रोका था। इस साक्षी ने फोटो 12 ग देख कर कहा कि इस की दीवार उसने उठाई थी। विवादित दीवार के पीछे दरवाजा अन्य दीवार में लगा है। यह दरवाजा बालकराम का है।

इस प्रकार वादी साक्षीगण ने अपने बयानों में यह स्वीकार किया है कि वादी द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति के दक्षिण दीवार वाद दायर होने से लगभग एक वर्ष पूर्व निर्मित करायी गयी है। वादी साक्षीगण ने यह भी बयान दिया है कि मंदिर के दक्षिण में जो दीवार निर्मित करायी गयी है, उसके बनने से पूर्व वहाँ से प्रतिवादी व अन्य गाँव वाले आते-जाते थे, इस प्रकार यह सपष्ट है कि मंदिर के दक्षिण जो दीवार बनी है, उससे प्रतिवादी के मकान का निकास अवरुद्ध हो गया है। तब प्रतिवादी वादी के विरुद्ध आज्ञापक आदेश प्राप्त करने का अधिकारी है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त सम्पत्ति पर कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं तथा इसलिए उसके द्वारा प्रस्तुत वाद दायर किया गया है। वादी साक्षी संख्या 01 कलहा ने बयान दिया है कि उसके और बालक राम के बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ था। इस मुकदमे को दायर करने से पहले कोई झगड़ा बालक राम से नहीं हुआ था। इस मुकदमे को दायर करने से पहले न तो बालक राम ने उसे कोई धमकी दी और न ही उसने बालकराम को कोई धमकी दी। इसी प्रकार वादी साक्षी संख्या 05 मंगरे ने अपनी प्रतिपरीक्षा में बयान दिया है कि उसके सामने बालकराम आदि ने विवादित सम्पत्ति पर कब्जा करने के लिए कोई धमकी कभी नहीं दी थी। इस प्रकार वादी स्वयं स्वीकार कर रहा है कि बालकराम आदि ने मुकदमा दायर करने से पूर्व कोई धमकी उसको नहीं दी थी, तब वादी अपने पक्ष में वाद हेतुक साबित करने में सफल रहा है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय यह पाता है कि वादी यह साबित करने में असफल रहा है कि वह वादग्रस्त सम्पत्ति का मालिक, काबिज दखील है, जबकि प्रतिवादी यह साबित करने में सफल रहा है कि वादी द्वारा निर्मित करायी गयी दक्षिणी दीवार से उसके आने-जाने का रास्ता अवरुद्ध हो रहा है और वह उक्त दीवार को ध्वस्त

करवा पाने का अधिकारी है। ऐसी स्थिति में वाद बिन्दु संख्या 01 वादी के विरुद्ध तथा वाद बिन्दु संख्या 07 प्रतिवादी के पक्ष में निर्णीत किये जाते हैं।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 03

वाद बिन्दु संख्या 03 वाद के आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता से बाधित होने से सम्बन्धित है। इस वाद बिन्दु को प्रतिवादी के अभिवचनों के आधार पर विरचित किया गया है तथा इसे सिद्ध करने का भार भी प्रतिवादी पर है।

प्रतिवादी का कथन है कि वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निरस्त होने योग्य है, जबकि वादी का कथन है कि प्रस्तुत वाद आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत निरस्त होने योग्य नहीं है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया।

आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कोई भी वाद तब निरस्त किया जाता है, जब -

1- वादपत्र से कोई वाद हेतुक प्रकट न होता हो।

2- जब वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन सही नहीं किया गया हो और न्यायालय द्वारा वादी को वाद का मूल्यांकन सही करने के लिए आदेश दिया गया हो और वादी निर्धारित समय में ऐसा करने में असफल रहा हो।

3- जब वादी द्वारा अपर्याप्त न्यायालय शुल्क अदा किया गया हो और न्यायालय द्वारा वादी को वांछित न्यायालय शुल्क अदा करने के लिए आदेशित किया गया हो और निर्धारित समय में ऐसा करने में वादी असफल रहा हो।

4- जब वादपत्र के कथनों से दर्शित होता हो कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

5- जहां वादपत्र दो प्रतियों में दाखिल नहीं किया गया हो।

6- जहां वादी ने आदेश 7 नियम 9 के उपबंधों का पालन नहीं किया हो।

प्रस्तुत वाद में वादपत्र को देखने से वाद हेतुक उत्पन्न होना दर्शित होता है। वाद बिन्दु संख्या 2 के निष्कर्षों से यह स्पष्ट है कि वादी ने वाद का मूल्यांकन सही किया है एवं पर्याप्त न्यायालय शुल्क अदा किया है। वादपत्र के कथनों से वाद किसी अन्य विधि द्वारा बाधित होना दर्शित नहीं होता है। वादी द्वारा आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का पालन किया गया है। प्रतिवादी ने अपने प्रतिवादपत्र में यह स्पष्ट नहीं किया है कि वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान से बाधित है। ऐसी स्थिति में न्यायालय यह पाता है कि वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता से बाधित नहीं है। अतः वाद बिन्दु संख्या 03 प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 11:

वाद बिन्दु संख्या 11 प्रतिवादे के आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निरस्त होने से सम्बन्धित है। इस वाद बिन्दु वादी के अभिवचनों के आधार पर

विरचित किया गया है तथा इसे सिद्ध करने का भार भी वादी पर है।

वादी का कथन है कि प्रस्तुत प्रतिदावा आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निरस्त होने योग्य है, जबकि प्रतिदावाकर्ता का कथन है कि प्रस्तुत प्रतिदावा आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निरस्त होने योग्य नहीं है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया।

आदेश 8 नियम 6 के सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया है कि प्रतिदावे के सम्बन्ध में वे सभी नियम एवं प्रावधान लागू होंगे जो वादपत्र के लिए लागू होते हैं। आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कोई भी वाद तब निरस्त किया जाता है, जब -

1- वादपत्र से कोई वाद हेतुक प्रकट न होता हो।

2- जब वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन सही नहीं किया गया हो और न्यायालय द्वारा वादी को वाद का मूल्यांकन सही करने के लिए आदेश दिया गया हो और वादी निर्धारित समय में ऐसा करने में असफल रहा हो।

3- जब वादी द्वारा अपर्याप्त न्यायालय शुल्क अदा किया गया हो और न्यायालय द्वारा वादी को वांछित न्यायालय शुल्क अदा करने के लिए आदेशित किया गया हो और निर्धारित समय में ऐसा करने में वादी असफल रहा हो।

4- जब वादपत्र के कथनों से दर्शित होता हो कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

5- जहां वादपत्र दो प्रतियों में दाखिल नहीं किया गया हो।

6- जहां वादी ने आदेश 7 नियम 9 के उपबंधों का पालन नहीं किया हो।

प्रस्तुत प्रतिदावे को देखने से वाद हेतुक उत्पन्न होना दर्शित होता है। वाद बिन्दु संख्या 8 एवं 9 के निष्कर्षों से यह स्पष्ट है कि प्रतिदावाकर्ता ने प्रतिदावे का मूल्यांकन सही किया है एवं पर्याप्त न्यायालय शुल्क अदा किया है। प्रतिदावे के कथनों से वाद किसी अन्य विधि द्वारा बाधित होना दर्शित नहीं होता है। प्रतिदावाकर्ता द्वारा आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का पालन किया गया है। वादी ने अपने प्रतिवादपत्र में यह स्पष्ट नहीं किया है कि प्रतिदावा आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान से बाधित है। ऐसी स्थिति में न्यायालय यह पाता है कि प्रतिदावा आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निरस्त होने योग्य नहीं है। अतः वाद बिंदु संख्या 11 वादी के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 05

वाद बिन्दु संख्या 05 वाद के धारा 41 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित होने से सम्बन्धित है। यह वाद बिन्दु प्रतिवादी के अभिवचनों के आधार पर विरचित किया गया है तथा इसे सिद्ध करने का भार भी प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी का कथन है कि वादी का वाद धारा 41 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है, जबकि वादी का कथन है कि

वाद धारा 41 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित नहीं है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी ने प्रस्तुत वाद वादग्रस्त सम्पत्ति पर स्थायी निषेधाज्ञा हेतु योजित किया है। प्रतिवादी ने ऐसा कोई प्रावधान अपने प्रतिवाद पत्र में वर्णित नहीं किया है, जिससे यह दर्शित होता हो कि प्रस्तुत वाद धारा 41 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के किस प्रावधान से बाधित है। तब न्यायालय यह पाता है कि वाद धारा 41 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित नहीं है। ऐसी स्थिति में यह वाद बिन्दु प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 12

वाद बिन्दु संख्या 12 प्रतिदावे के धारा 41 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित होने से सम्बन्धित है। यह वाद बिन्दु वादी के अभिवचनों के आधार पर विरचित किया गया है तथा इसे सिद्ध करने का भार भी वादी पर है। वादी का कथन है कि प्रतिदावा धारा 41 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है, जबकि प्रतिवादी का कथन है कि प्रतिदावा धारा 41 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित नहीं है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादी ने प्रस्तुत प्रतिदावा वादग्रस्त दीवार को ध्वस्त कराने हेतु आज्ञापक व्यादेश हेतु योजित किया है। वादी ने ऐसा कोई प्रावधान अपने प्रतिवाद पत्र/ प्रत्तोत्तर में वर्णित नहीं किया है, जिससे यह दर्शित होता हो कि प्रस्तुत प्रतिदावा धारा 41 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के किस प्रावधान से बाधित है। तब न्यायालय यह पाता है कि प्रतिदावा धारा 41 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित नहीं है। ऐसी स्थिति में यह वाद बिन्दु वादी के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 4, 6, 10 एवं 13 :-

वाद बिन्दु संख्या 04 इस आशय से विरचित किया गया है कि क्या प्रतिवादीगण धारा 35 क सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत वादी से विशेष हर्जा पाने के अधिकारी हैं। वहीं वाद बिन्दु संख्या 10 इस आशय से विरचित किया गया है कि क्या वादी धारा 35 क सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रतिवादी से विशेष हर्जा पाने के अधिकारी हैं। वाद बिन्दु संख्या 06 एवं वाद बिन्दु संख्या 13 अनुतोष से सम्बन्धित हैं।

वादी ने प्रस्तुत वाद स्वयं को वादग्रस्त सम्पत्ति का मालिक, काबिज कहते हुए प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा हेतु योजित किया है। जबकि प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा वादी के विरुद्ध विवादित दीवार को ध्वस्त कराने हेतु योजित किया है। वाद बिन्दु संख्या 01 एवं 07 के निष्कर्ष से यह साबित हो चुका है कि वादी वादग्रस्त सम्पत्ति का रवानी, काबिज नहीं है। जबकि वादी द्वारा विवादित दीवार जबरन प्रतिवादीगण के निकास को अवरुद्ध करने के लिए निर्मित करायी गयी है। ऐसी स्थिति में मामलों के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय यह पाता है कि कोई भी पक्ष कोई विशेष हर्जा प्राप्त करने का

अधिकारी नहीं हैं तथा वादी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, जबकि प्रतिवादी वादी के विरुद्ध आज्ञापक व्यादेश प्राप्त करने का अधिकारी है।

उपरोक्त परिचर्चा से न्यायालय यह पाता है कि वादी अपना वाद सिद्ध करने में सफल रहा है जबकि प्रतिवादी संख्या 01 अपना प्रतिदावा साबित करने में सफल रहा है और वादी का वाद सव्यय निरस्त तथा प्रतिदावाकर्ता का प्रतिदावा सव्यय आज्ञाप किये जाने योग्य है।

आदेश

वादी का वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध सव्यय निरस्त किया जाता है।

प्रतिवादी संख्या 01 का प्रतिदावा वादी के विरुद्ध सव्यय आज्ञाप किया जाता है। वादी को आदेशित किया जाता है कि वह इस निर्णय की दिनांक से चार माह के अंदर नक्शा नजरी वाद पत्र में अक्षर रखी, डी, से प्रदर्शित स्थान पर बनायी गयी दीवार को ध्वस्त कर दें।

दिनांक- 22.11.2019

(अपर्णा देव),

सिविल जज(प्रवर खण्ड),

श्रावस्ती

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक- 22.11.2019

(अपर्णा देव),

सिविल जज(प्रवर खण्ड),

श्रावस्ती

Self attested
judgement
up to date
H.M.
18/11/2019